न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कोटा, जिला कोटा (राज0)
पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश कुमार चौधरी आर0ए0एस0

प्रकरण संख्याः 31/2017 (गुण्डा एक्ट)

उनवान

राज्य सरकार जर्ये थानाधिकारी पुलिस स्टेशन बपावरकला, जिला कोटा (राज0)

बनाम

सियाराम पुत्र मूलचन्द्र जाति मीणा उम्र 28 साल निवासी जिठानी थाना बपावरकलां जिला कोटा

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 (1)
राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975

निर्णय दिनांक : 29.11.2024

1. थानाधिकारी पुलिस स्टेशन बपावरंकला, जिला कोटा की ओर से जर्ये पुलिस अधीक्षक, जिला कोटा (ग्रामीण) एक इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 में कार्यवाही हेतु दिनांक 27.07.2017 को इस आशय का पेश किया गया कि गैरसायल सियाराम पुत्र मूलचन्द्र जाति मीणा उम्र 28 साल निवासी जिठानी थाना बपावरकलां जिला कोटा ग्रामीण का निवासी होकर थाना क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तथा जुआ अध्यादेश के तहत अपराध करने आदी है, तथा उक्त अपराध को करने में थाना क्षैत्र में आतंक बनाकर रखता है। गैरसायल के उक्त गतिविधियों से आम जन आतंक होकर भयग्रस्त रहते है, जिससे उसके क्षैत्र में निवासी करने वाले साक्षी लोग उसके विरूद्ध साक्ष्य देने के लिऐ आगे आने के इच्छुक नहीं रहते है। साक्ष्य देने की स्थिति में अपने आपको असुरक्षित महसूस करते है। गैरसायल के विरूद्ध आपराधिक रिकार्ड निम्न है।

क्र. स.	प्रकरण संख्या	धारा	चार्जशीट न0 व दिनांक	न्यायालय निर्णय
1.	63/2006	452,323,325,34,ता0हि0	53/24.07..2006	न्यायालय द्वारा बरी
2.	35/.2008	341,323,327,ता0हि0	32/28.04.2008	पेण्डिग कोर्ट
3.	02/2006	13 आरपीजीओ	2/09.01.2006	न्याया0 द्वारा 50/– रूपये के दण्ड से दण्डित किया गया है।
4.	01/2015	323,325 ता0हि	1/13.01.2015	पेण्डिग कोर्ट
5.	67/2016	13 आर0पी0जी0ओ0	60/19.05.2016	न्याया0 द्वारा 100/– रूपये के दण्ड से दण्डित किया गया है।
6	104/2016	13आर0पी0जी0ओ	94/19.08.2016	न्याया0 द्वारा 100/– रूपये के दण्ड से दण्डित किया गया है।
7.	129/16	143,436,427,ता0हि	126/8.11.2016	पेण्डिग कोर्ट

1.

2. अतः गैरसायल सियाराम पुत्र मूलचन्द्र जाति गीणा उम्र 28 साल निवासी जिठानी थाना बपावरकलां जिला कोटा ग्रामीण के विरूद्ध इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3(1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

3. उक्त प्रकार से गैरसायल सियाराम पुत्र मूलचन्द्र जाति मीणा उम्र 28 साल निवासी जिठानी थाना बपावरकलां जिला कोटा ग्रामीण के विरूद्ध इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3(1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी गैरसायल की गई।

4. उक्त गैरसायल के उपस्थिति होने पर उपस्थित गैरसायल को सारवान आरोपों को अभिलिखित करते हुऐ नोटिस दिया गया, जिसका दिनांक 29.8.2019 को गैरसायल की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया है, गैरसायल की ओर से प्रस्तुत जवाब में कथन है कि इस्तगासे में प्रार्थी के विरूद्ध जो प्रकरण बताये गये है उनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 63/06 अन्तर्गत धारा 452,323,325/34 दर्ज हुआ था जिसमें बाद विचारण न्यायालय द्वारा अप्रार्थी को बरी कर दिया गया है इसी प्रकरण संख्या 35/2008 अन्तर्गत धारा 341,323,327 में भी वाद विचारण प्रार्थी को राजीनामे के आधार पर दोष मुक्त किया जा चुका है एवं प्रकरण संख्या 129/16 अन्तर्गत धारा 143,436,427 में बाद विचारण न्यायालय द्वारा अप्रार्थी को दोष मुक्त घोषित किया जा चुका है। उक्त प्रकरण के अलावा प्रार्थी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 1/15 अन्तर्गत धारा 323,325 में बाद विचारण न्ययालय द्वारा दोष मुक्त किया जा चुका हैा इसके अतिरिक्त प्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण संख्या 2/06, 67/16 , 104/16, अन्तर्गत धारा 13 आर0पी0ओ0 के झूंठे तथ्यों के आधार पर दर्ज किये गये जिनमें प्रार्थी ने लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार कर फैसला करवा लिया गया है उक्त तीनो प्रकरण साधारण प्रकृति के और पुलिस द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध झूठे दर्ज किये गये थें। इसके अलावा प्रार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार के कोई प्रकरण विचाराधीन नही है। ऐसी स्थिति में इस्तगासा खारिज किये जाने योग्य है।

5. प्रकरण में गैरसायल की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाशक की बहस सुनी गई। गैरसायल की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषाक द्वारा जवाब में अंकित तथ्यों को बहस में कथन किया तथा बताया कि गैरसायल के विरूद्ध दर्ज उक्त मुकदमों के अलावा इस्तगासा प्रस्तुत करने की तिथी से पिछले एक वर्ष में कोई प्रकरण गैरसायल के विरूद्ध पंजीबद्ध नहीं हुआ है। गैरसायल शांतिपूर्ण रूप से अपना एंव अपने परिवार का जीवन निर्वाह कर रहा है। गैरसायल के विरूद्ध इस्तगासे में दर्ज बताये गये उक्त चार में न्यायालय द्वारा दोष मुक्त किया जा चुका है। है उक्त तीनो प्रकरण साधारण प्रकृति के और पुलिस द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध झूठे दर्ज किये गये थें। इसके अलावा प्रार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार के कोई प्रकरण विचाराधीन नही है। अतः गैरसायल को अपना जीवन शांतिपूर्ण रूप से व्यतीत करने का अवसर प्रदान करते हुऐ कार्यवाही को ड्रॉप फरमाया जावे।

6. प्रकरण में बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत इस्तगासा में गैरसायल के विरूद्ध दर्ज वर्णित अभियोग का वर्ष 2006, 2008 एंव वर्ष 2016 का है। गैरसायल की ओर से बहस में कथन है कि "उक्त चार प्रकरणों में गैरसायल को दोष मुक्त किया जा चुका है। तथा वर्तमान में कोई केस दर्ज नहीं है। तथा न्यायालय से निर्णीत प्रकरणों के बाद गैरसायल के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। गैरसायल वर्तमान में शांतिपूर्ण जीवन यापन कर रहा है। गेरसायल के विरूद्ध 13 आर.पी.जी.ओ. के अन्तर्गत दर्ज अभियोग के सम्बन्ध में यह इस्तगासा दिनांक 27.07.2017 को प्रस्तुत किया गया है इस्तगासा प्रस्तुतिकरण की तिथी 27.07.2017 बाद लगभग 7 वर्ष में कोई प्रकरण दर्ज होने अथवा दौराने इस्तगासा विचारण भी गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (बी) के अन्तर्गत किसी आपराधिक प्रकरण के दर्ज होने सम्बन्धी तथ्य पत्रावली पर नहीं है। परिणामतः गैरसायल को नेकचलन, सदाचारी रहने एंव शांति पूर्ण रूप से जीवन यापन करने हेतु विचाराधीन कार्यवाही को समाप्त किया जाना उचित समझते है।

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा